प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–15.03.2023 (सं0–175)

तमिलनाडु राज्य में बिहार के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं से सम्बन्धित सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर आर्थिक अपराध इकाई की अद्यतन कार्रवाई

1. आर्थिक अपराध इकाई थाना काण्ड सं0–03/2023 दिनांक–05.03.2023 धारा–153/153 (ए)/153 (बी)/505 (1) (बी)/505(1) (सी)/468/471/120 (बी) भा0द0वि0 एवं 67 आइ0टी0 एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी एवं युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी हेतु वारण्ट प्राप्त किया गया है।
2. उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।
3. मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कराया गया है। इनके SBI के एक खाते में 3,37,496 रुपये, IDFC Bank के एक खाते में 51,069 रुपये, HDFC Bank के एक खाते में 3,37,463 रुपये तथा SACHTAK Foundtion के HDFC Bank के एक खाते में 34,85,909 रुपये उपलब्ध है। कुल उपलब्ध राशि 42,11,937 रुपये हैं।
4. मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले है, जिन पर गहन अनुसंधान किया जा रहा है।
5. मनीष कश्यप के नाम से संचालित @manishkashyap43 Twitter हैण्डल पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की एक छवि (Photo) पोस्ट करके असत्य, अफवाह जनक एवं भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0–05/23 अंकित किया गया है। इस काण्ड के अप्राथमिकी अभियुक्त प्रशान्त कुमार पे0 योगेन्द्र द्विवेदी, सा0 बड़का ढकाइच, थाना कृष्णाब्रह्म, जिला बक्सर वर्तमान द्वारा शशिकान्त शर्मा, सा0 गणेशपथ, रोड नं0–01, शिवपुरी, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया है।
6. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। काण्ड का अग्रतर अनुसंधान जारी है।

xxxxxxxxx